



पी.टी.ई.टी. - 2025
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा



प्रवेश दिशा-निर्देशिका

2 वर्षीय बी.एड. एवं 4 वर्षीय बी.ए.बी.एड. / बी.एससी.बी.एड प्रवेश परीक्षा 2025

प्रो. कैलाश सोडाणी
मुख्य समन्वयक एवं कुलपति
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. एस. के. कुलश्रेष्ठ

सह-समन्वयक

डॉ. आलोक चौहान

समन्वयक

कार्यालय

समन्वयक, पी.टी.ई.टी.-2025
आर्यभट्ट भवन, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) 324010

दूरभाष : 0744-2471156, 0744-7965448, मो: 6367026526

वेबसाइट : ptetvmoukota2025.com Email-ID: ptet2025@vmou.ac.in



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा



दिनांक:

05.03.2025

अधिसूचना - 1/2025

प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट (पी.टी.ई.टी.) – 2025

2 वर्षीय बी.एड. एवं 4 वर्षीय बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. प्रवेश परीक्षा

राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बी.एड. एवं 4 वर्षीय बी.ए.बी.एड. / बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाईट ptetvmoukota2025.com पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का अध्ययन कर लेवें।

क्र.सं.	विवरण	महत्वपूर्ण तिथियाँ
1.	ऑनलाइन आवेदन- प्रारम्भ करने की तिथि	05.03.2025
2.	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	07.04.2025
3.	प्रवेश परीक्षा तिथि	15.06.2025

प्रवेश परीक्षा शुल्क रु. 500/-

समन्वयक - पी.टी.ई.टी. 2025

0744-7965448

पी.टी.ई.टी. परीक्षा-2025 हेतु सामान्य नियम एवं मार्गदर्शन

राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में बी.एड पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा (पीटीईटी-2025) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदत्त नियमों के अनुसार आयोजित होगी।

दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम

1. राजस्थान के बी.एड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पी.टी.ई.टी.-2025 परीक्षा करवाई जायेगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं, जिसका शुल्क 500/- रुपये है। अभ्यर्थी आवेदन 07 अप्रैल, 2025 तक कर सकेंगे।
2. वे आवेदक जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण की है, जो राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालयों की स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा के समतुल्य मानी गई हो। अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग, विधवा, परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों (सभी आरक्षित श्रेणी केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी) के लिए वांछनीय योग्यता स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक है। न्यूनतम प्रतिशत में किसी भी प्रकार की छूट नहीं है (एक अंक की भी नहीं)।
3. एकल बैठक (Single Sitting) परीक्षा पद्धति से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी चाहे उन्होंने बाद में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण क्यों न कर ली हो, पी.टी.ई.टी.-2025 हेतु पात्र नहीं है, इसी प्रकार वे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2+3 या 10+1+3 परीक्षा पद्धति से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वे भी पात्र नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से बीएपी/बीसीपी/बीएससीपी परीक्षा उत्तीर्ण की है और तत्पश्चात तीन साल की स्नातक उत्तीर्ण की है, वे पी.टी.ई.टी.-2025 प्रवेश परीक्षा और योग्यता के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप चार वर्षीय स्नातक डिग्री धारी भी इस परीक्षा हेतु पात्र है।
5. बी.ए./बी.कॉम/बी.एससी./शिक्षा शास्त्री परीक्षा के अन्तिम वर्ष या एम.ए./एम.कॉम/एम.एस.सी/आचार्य के अन्तिम वर्ष के अभ्यर्थी भी पी.टी.ई.टी.-2025 परीक्षा हेतु योग्य हैं, बशर्ते वे काउंसलिंग में पंजीकरण की अन्तिम तिथि से पूर्व अहंता परीक्षा की अंकतालिका जमा करवा दे।
6. पी.टी.ई.टी.-2025 में प्राप्तांक के आधार पर योग्यता सूची नियमानुसार तैयार की जायेगी।
7. ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु शुल्क रुपये 5000/- है। यह राशि कुल फीस में समायोजित की जायेगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेकर संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करने पर जमा राशि में से रुपये 200/- की कटौती की जायेगी तथा यदि विद्यार्थी शुल्क 22000/- जमा करवा देता है तथा तत्पश्चात कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं करता है तब रुपये 600/- कटौती की जायेगी।
8. प्रत्येक संकाय (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय) में उपलब्ध कुल सीटों में राजस्थान राज्य के मूल अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण की स्थिति निम्नानुसार होगी:-

आरक्षण के नियम

- I. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए Income & Asset Certificate एक बार जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सन्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण-पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षों तक) तक किया जा सकता है।
- II. ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण-पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ-पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण-पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षों तक) तक किया जा सकता है।
- III. निःशक्तजन (दिव्यांग) को निःशक्तता के संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विशिष्टीकृत चिकित्सकीय प्राधिकरण द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र/UD ID (Unique Disability identity card) प्रस्तुत करना होगा। जिला मुख्य चिकित्साधिकारी / पी.एम.ओ. जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह लाभ 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिया जायेगा।

आरक्षण तालिका

क्र.सं.	वर्ग	आरक्षण (%)
I.	अनु. जाति वर्ग के लिए	16
II.	अनु. जनजाति वर्ग के लिए	12
III.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए	21
IV.	अति पिछड़ा वर्ग (MBC)	5
V.	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS)	10
VI.	महिला (इसमें से 8 प्रतिशत सीट विधवा वर्ग एवं 2 प्रतिशत सीट तलाकशुदा वर्ग)	राज्य सरकार के नियमानुसार
VII.	दिव्यांग वर्ग (Including Blind, Deaf and/or Dumb and Orthopaedic)	5 (क्षैतिज)
VIII.	रक्षा सेवा या पूर्व रक्षा सेवा के आश्रितों के लिए (केवल जल, थल, नभ सेना)	5 (क्षैतिज)

नोट :-

- a. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- b. रक्षा आश्रितों का लाभ पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति को ही देय होगा। सगी बहन और सगे भाई को भी रक्षा कर्मियों के वार्ड के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते वे अभिभावक रक्षा कर्मियों पर निर्भर हों और अभ्यर्थी के माता-पिता जीवित न हों।
- c. तलाकशुदा महिला को लाभ हेतु न्यायालय से तलाक का निर्णय प्रस्तुत करना होगा एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित यह शपथ-पत्र देना होगा कि उसने पुनः विवाह नहीं किया है।

- d. रक्षा आश्रितों हेतु प्रमाण पत्र संबंधित यूनिट के मेजर/ सैनिक बोर्ड के सचिव द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा इसके अभाव में इस श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। बीएसएफ, सीआरपीएफ एवं अन्य पैरामिलिट्री बलों के कार्मिकों/अधिकारियों व आश्रितों को यह लाभ देय नहीं होगा।
- e. राजस्थान राज्य के मूल निवास के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं, 12वीं एवं स्नातक कक्षा की परीक्षा राजस्थान राज्य में रहते हुए उत्तीर्ण की है तो उन्हें यह लाभ देय होगा।
- f. यदि राजस्थान राज्य के बाहर की कोई महिला राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान राज्य के मूल निवासी पुरुष से विवाह करती है तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं विवाह के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही लाभ देय होगा।
- g. रक्षा सेवाओं के आश्रितों अथवा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजस्थान राज्य के बाहर पदस्थापितों के आश्रितों को भी राजस्थान के मूल निवास का लाभ देय होगा। बशर्त कि वे राजस्थान राज्य के मूल निवास का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त कर पी.टी.ई.टी. फार्म के साथ संलग्न करें।
- h. किसी भी अभ्यर्थी को उसके द्वारा ऑनलाइन प्रवेश फार्म में दी गई वरीयता के आधार पर परीक्षा केन्द्र यथासंभव आवंटित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में आवंटित परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन संभव नहीं है।
- i. अभ्यर्थी जो दिव्यांग वर्ग से हो तथा श्यामपट्ट पर शैक्षणिक कार्य कराने में असमर्थ हैं, वे पात्र नहीं हैं।
- j. किसी भी स्तर पर पाए गए तथ्यों का कोई भी गलत विवरण से पाठ्यक्रम में प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित उम्मीदवार की होगी और जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
9. अधिकतम 5 प्रतिशत सीट राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं बशर्त है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का मेरिट कटऑफ राजस्थान राज्य के सामान्य श्रेणी के छात्र से कम न हो, शेष सीटें केवल राजस्थान राज्य के मूल अभ्यर्थियों के लिए ही उपलब्ध होंगी। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे।
10. पीटीईटी का परिणाम वेबसाइट www.ptetvmoukota2025.com पर उपलब्ध करवाया जायेगा तथा इसकी सूचना राजस्थान के अग्रणी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों की अंक तालिका डाक द्वारा नहीं भिजवाई जायेगी, पीटीईटी की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पी.टी.ई.टी.-2025 की वेबसाइट को परीक्षा होने के बाद नियमित रूप से देखते रहें।
11. आवेदक को कॉलेज का आवंटन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। काउंसलिंग कार्यक्रम का शेड्यूल राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और ऑनलाइन काउंसलिंग में उनकी भागीदारी के संबंध में निर्देशों के साथ पी.टी.ई.टी.-2025 वेबसाइट www.ptetvmoukota2025.com पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पीटीईटी परिणाम की घोषणा के बाद राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों और पी.टी.ई.टी.-2025 की वेबसाइट के संपर्क में रहें। जो अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करते हैं या ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित कॉलेज को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वे अपनी पीटीईटी योग्यता स्थिति और बी.एड में प्रवेश का मौका खो देंगे।

12. ऑनलाइन काउंसलिंग विधि से अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु वेबसाईट पर आवेदन कर निर्धारित फीस जमा करवानी होगी। जो अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं उन्हें मेरिट से हटा दिया जायेगा तथा उनके प्रवेश पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।
13. समस्त प्रवेश प्रक्रिया वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित पी.टी.ई.टी.-2025 परीक्षा के परिणामों के आधार पर पूर्ण की जायेगी। किसी भी महाविद्यालय को अपने स्तर पर किसी भी प्रकार के प्रवेश का अधिकार नहीं है। सभी सीटों पर प्रवेश समन्वयक पी.टी.ई.टी.-2025 के द्वारा ही होंगे।
14. अभ्यर्थी को महाविद्यालय का आवंटन पीटीईटी परीक्षा की मेरिट, संकाय, श्रेणी, महाविद्यालय की चयनित वरीयता आदि के आधार पर राजकीय नियमों के अनुसार किया जायेगा ना कि वह किस जिले या स्थान का रहवासी है।
15. वर्तमान में अपवर्ड मूवमेंट की सुविधा प्रथम राउंड में ही उपलब्ध है। प्रारम्भ में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करने के पश्चात अभ्यर्थी इस सुविधा का लाभ ले सकता है। अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय को रिपोर्ट करने के पश्चात यदि उसे मेरिट के अनुसार नया महाविद्यालय आवंटित होता है तो उसे नये महाविद्यालय में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा। पूर्व आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में फ़ीस नहीं लौटाई जाएगी।
16. अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरते हुए अपनी श्रेणी, संकाय व लिंग आदि सभी सूचनाएँ सही व ध्यानपूर्वक भरें, इनमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा अभ्यर्थी केवल स्वयं के एवं वैध मोबाइल नं. एवं वैध ईमेल एड्रेस ही अंकित करें। भविष्य में सभी सूचनाएँ उसी नम्बर पर प्राप्त होंगी। इसी प्रकार अभ्यर्थी स्वयं के बैंक खाते की ही सूचना अंकित करें। स्वयं के बैंक खाते के नहीं होने की स्थिति में केवल पिता या माता के बैंक खाते का विवरण अंकित करें। मोबाइल नम्बर तथा बैंक खाते में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत जानकारी पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
17. बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण विषय आवश्यक है :-
- शिक्षण विषय (Teaching Subject)** का तात्पर्य है कि अभ्यर्थी ने अपने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर परीक्षा में लिये गये वैकल्पिक विषय से है जो कि अभ्यर्थी ने इन विषयों को दो वर्षों तक विश्वविद्यालय परीक्षा में लिये हों।
 - विश्वविद्यालय की टी.डी.सी. प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष की परीक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में लिये गये विषय जैसे सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य शिक्षा, सामान्य पर्यावरण, सामाजिक कार्य, प्रारम्भिक कम्प्यूटर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास अथवा प्रारम्भिक गणित, शिक्षण विषय के रूप में मान्य नहीं होंगे। ऑनर्स पद्धति से डिग्रीधारकों के वैकल्पिक विषयों के अतिरिक्त यदि कोई विषय दो वर्षों या अधिक लगातार पढ़कर विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वह विषय शिक्षण विषय के रूप में मान्य होंगे। तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष की अंक तालिका में प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के अंक पृथक रूप से अंकित होने अनिवार्य हैं।

- iii. बीएड परीक्षा में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण विषय लेने की अनुमति होगी जिन्होंने अपने स्नातक डिग्री में इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान अथवा समाजशास्त्र में से कम से कम दो विषय से पास की हो।
- iv. कृषि स्नातकों के अभ्यर्थी सामान्य विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषय चुन सकते हैं तथा बी.एससी गृह विज्ञान डिग्री धारक अभ्यर्थी सामान्य विज्ञान एवं गृह विज्ञान विषय चुन सकते हैं।
- v. बी.एससी. डिग्री धारक अभ्यर्थी रसायनशास्त्र के साथ वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र अथवा जीव विज्ञान विषय का चयन कर सामान्य विज्ञान विषय चुन सकते हैं।
- vi. जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक स्तर पर राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय का अध्ययन किया है वे नागरिक शास्त्र को शैक्षणिक विषय के रूप में चुन सकते हैं।
- vii. एनसीटीई विनियम, 2014, परिशिष्ट-4 के अनुसार पृष्ठ संख्या-114, बिंदु संख्या 3.2 (ए) के अनुसार बी.टेक. डिग्रीयों को भी बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस बिंदु में उल्लेख किया गया है कि 55% अंकों के साथ विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक योग्यताधारी बी.एड कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थीयों को विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश नहीं दिया।

योग्यता नियमों पर स्पष्टीकरण

1. पी.टी.ई.टी.-2025 मेरिट हेतु अभ्यर्थी की स्नातक स्तर की संकाय को ही आधार माना जायेगा। भिन्न संकाय की स्नातकोत्तर परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी को संकाय अथवा शिक्षण विषय चुनने का अधिकार नहीं होगा।
 2. यदि कोई अभ्यर्थी एक ही संकाय के दो विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री धारित है तो वह उस संकाय में पी.जी. विषयों के आधार पर शिक्षण विषय का चुनाव कर सकेगा।
 3. वाणिज्य संकाय के स्नातक अर्थशास्त्र विषय नहीं चुन सकते हैं।
 4. ऐसे अभ्यर्थी को पी.टी.ई.टी.-2025 परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो दो शैक्षणिक विषय चुनने के लिए नियमानुसार अधिकृत नहीं है।
 5. बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.एस.डब्लू./बी.टेक./बी.एससी.बॉयोटेक्नॉलोजी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान इत्यादि विषयों में स्नातक डिग्री धारकों हेतु शैक्षणिक विषय की उपलब्धता नहीं होने के कारण पीटीईटी के लिए पात्रता नहीं रखते हैं।
 6. जो अभ्यर्थी पी.टी.ई.टी.-2025 के ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म की अन्तिम तिथि के समय योग्यताधारी नहीं हैं वे भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम काउंसलिंग में पंजीकरण की अन्तिम तिथि से पूर्व उपलब्ध होना चाहिए अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
 7. अयोग्य अभ्यर्थी को मात्र शुल्क जमा कराने के आधार पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा।
 8. अन्य :-
- A. ऐसे अभ्यर्थी जो उच्च माध्यमिक परीक्षा के पश्चात तीन वर्षीय डिग्री उत्तीर्ण कर चुके हैं परन्तु प्रथम वर्ष की परीक्षा के अंक विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय वर्ष की अंक तालिका में शामिल नहीं है, तो वे बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता नहीं रखते हैं।

- B. ऑनर्स डिग्री धारक अभ्यर्थी जिन्होंने वैकल्पिक विषय के अतिरिक्त कोई विषय दो वर्ष तक नहीं पढ़ा है तो वह उन विषयों को शैक्षणिक विषय के रूप में नहीं चुन सकता है।
- C. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा उत्तीर्ण की गई 1 वर्षीय बी.ए.पी./बी.सी.पी./बी.एससी.पी. परीक्षा के आधार पर त्रिवर्षीय डिग्री धारित अभ्यर्थी पीटीईटी प्रवेश परीक्षा हेतु पात्र माने जायेंगे।

4 वर्षीय बी.ए. बी.एड / बी.एससी. बी.एड. कोर्स में प्रवेश हेतु नियम

1. राजस्थान के बी.ए. बी.एड/बी.एससी. बी.एड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पी.टी.ई.टी.-2025 परीक्षा करवाई जायेगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। जिसका शुल्क 500/- रुपये है। अभ्यर्थी आवेदन दिनांक 05 मार्च से 07 अप्रैल, 2025 तक कर सकेंगे।
2. विज्ञान संकाय वाले अभ्यर्थी 4 वर्षीय बी.ए. बी.एड. एवं बी.एससी बी.एड. दोनों हेतु यदि आवेदन करते हैं तो उनका शुल्क 1000/- रुपये होगा।
3. वांछनीय योग्यता हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर अथवा समकक्ष बोर्ड से अभ्यर्थी ने उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों एवं अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग, विधवा, परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। न्यूनतम प्रतिशत में किसी भी प्रकार की छूट नहीं है (एक अंक की भी नहीं)।
4. कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान / राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12वीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
5. 4 वर्षीय बी.एससी. बी.एड. कोर्स में प्रवेश लेने के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा में विज्ञान संकाय होना आवश्यक है।
6. उच्च माध्यमिक परीक्षा में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय वाले अभ्यर्थी 4 वर्षीय बी.ए. बी.एड. कोर्स में प्रवेश लेने हेतु पात्र होंगे।
7. वे अभ्यर्थी जो उच्च माध्यमिक परीक्षा में इस वर्ष सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इस शर्त पर परीक्षा दे सकते हैं कि उनका उच्च माध्यमिक परीक्षा परिणाम काउंसलिंग में पंजीकरण की अन्तिम तिथि से पूर्व उपलब्ध होना चाहिए।
8. बी.ए.बी.एड/बी.एससी बीएड परीक्षा-2025 में प्राप्तांकों के आधार पर संकायवार एवं श्रेणीवार मेरिट लिस्ट बनाई जायेगी। जो पीटीईटी की वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।
9. श्रेणीवार आरक्षण एवं मूल निवास हेतु शर्तें बी.एड. प्रवेश में दर्शाई शर्तों के अनुसार ही होगी।

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य नियम

- i. अभ्यर्थी को पीटीईटी में बैठने की अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिए क्योंकि परीक्षा में बैठने के स्तर तक आवेदन-पत्रों की जांच विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं की जाती है। पीटीईटी परीक्षा में बैठना अभ्यर्थी की अपनी जोखिम पर है।

- ii. पीटीईटी परीक्षा की मेरिट में यदि उसका चयन हो भी जाता है तब भी अपात्र/अयोग्य पाए जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं शुल्क भी लौटाया नहीं जायेगा।
- iii. अभ्यर्थी को नियमावली व सामान्य निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उनकी पालना करनी चाहिए अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे।
- iv. किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी श्रेणी विशेष का उल्लेख करना परन्तु वास्तविकता में उस श्रेणी से सम्बन्ध नहीं रखना या आवेदन-पत्र में श्रेणी आदि का उचित अंकन किए बगैर प्रमाण-पत्रादि की प्रतिलिपि संलग्न कर देना या ऑन-लाइन आवेदन-पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना / तथ्य अंकित करना “दुराचरण” माना जायेगा और परिणामस्वरूप ऐसा आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- v. पीटीईटी प्रवेश परीक्षा शुल्क उपरोक्त दर्शाई गई किसी भी दशा में प्रत्यर्पणीय नहीं (Non-refundable) है। अतः नियमों और निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिए।

पी.टी.ई.टी. प्रवेश परीक्षा हेतु मार्गदर्शन

1. प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह सर्वोत्तम को चुनने की एक प्रक्रिया है तथापि यहां कुछ रूपरेखा दी जा रही है।
2. अभ्यर्थी परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक चुन सकता है जिस माध्यम का चुनाव किया जायेगा प्रश्न पत्र केवल उसी माध्यम के उपलब्ध होंगे। अतः फॉर्म भरते हुए अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि वह किस माध्यम से परीक्षा देने सुविधाजनक है क्योंकि फॉर्म भरने के बाद इसमें संशोधन करना संभव नहीं होगा।
3. पीटीईटी परीक्षा में एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें चार भाग होंगे। प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न होंगे तथा प्रश्न-पत्र में कुल 200 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे एवं परीक्षा अवधि तीन घण्टे की होगी।
 - I. **मेन्टल एबिलिटी**: मानसिक योग्यता अनुभाग में निम्नलिखित क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे: (i) तर्क (ii) कल्पना (iii) निर्णय और निर्णय लेना (iv) रचनात्मक सोच (v) सामान्यीकरण (vi) निष्कर्ष निकालना आदि।
 - II. **टीचिंग एटीट्यूड एण्ड एप्टीट्यूड टेस्ट**: शिक्षण मनोवृत्ति और योग्यता परीक्षण अनुभाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में 50 प्रश्न शामिल होंगे: (i) सामाजिक परिपक्वता, (ii) नेतृत्व, (iii) व्यावसायिक प्रतिबद्धता, (iv) पारस्परिक संबंध (v) संचार, (vi) जागरूकता आदि। यह दृष्टिकोण और जागरूकता की परीक्षा होगी जिसमें प्रश्नों के उत्तर 3, 2, 1 और 0 के पैमाने पर दिए जाएंगे।
 - III. **जनरल अवेयरनेस**: सामान्य जागरूकता अनुभाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे: (i) करंट अफेयर्स (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय), (ii) भारतीय इतिहास और संस्कृति, (iii) भारत और इसके प्राकृतिक संसाधन। (iv) महान भारतीय व्यक्तित्व (अतीत और वर्तमान), (v) पर्यावरण जागरूकता, (vi) राजस्थान के बारे में ज्ञान, आदि।
 - IV. **लॅंग्वेज प्रोफिशियेन्सी (हिंदी अथवा अंग्रेजी)** {Language Proficiency (Hindi or English)}: भाषा प्रवीणता (अंग्रेजी या हिंदी) अनुभाग में हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दक्षता के संबंध में

मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे:

(i) शब्दावली, (ii) कार्यात्मक व्याकरण, (iii) वाक्य संरचनाएं, (iv) समझ, आदि।

4. प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। (मॉडल प्रश्न पत्र में नमूना देखें।)
5. लैंग्वेज प्रोफिशियेन्सी भाग को छोड़कर सम्पूर्ण प्रश्न पत्र अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में होगा।
6. प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा एवं सम्पूर्ण प्रश्नपत्र 600 अंकों का होगा।
7. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिये जायेंगे। टीचिंग एटीट्यूड एण्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन 3 से 0 अंक की स्केल पर होगा अर्थात् प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 3, 2, 1 अथवा 0 अंक होगा।
8. सभी विषयों का प्रश्नपत्र 'टेस्टबुकलेट' के रूप में होगा जिसमें क्रमशः 1, 2, 3,....., 50 तक क्रमांक में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम चार विकल्पी उत्तर (A) (B) (C) (D) आदि रूप में होंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसे दिये गये उत्तरपत्रक में प्रश्न के अनुरूप क्रमांक में काले/नीले बॉलपेन से पूरे गोले को गहरा काला/नीला करना है। निशान गहरा काला/नीला और गोला पूरा भरा होना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक गोले को गहरा काला/नीला करना है जैसा नमूने में दर्शाया गया है।

सही गोला करने का उद्दारण



दी हुई उपयुक्त जगह को ही काला/नीला कीजिए। उत्तरपत्रक पर इधर-उधर कहीं कोई निशान मत लगाइए। एक से अधिक गोले को काला/नीला कर देने से वह उत्तर गलत माना जाएगा। उत्तरपत्रक पर रफ कार्य नहीं करना है। टेस्ट बुकलेट में रफ कार्य के लिए अलग से स्थान दिया हुआ है, उस जगह का उपयोग कीजिए। मूल्यांकन केवल उत्तरपत्रक के आधार पर ही किया जायेगा। परीक्षा उपरान्त प्रश्न-पत्र पुनः जमा नहीं करवाना है। ओ.एम.आर. की कार्बन प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा।

9. टेस्ट बुकलेट विभिन्न समुच्चयों (Combinations) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रश्न-पुस्तिका का क्रमांक उत्तर-पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करें और अंकों के समानान्तर गोलों को सावधानी से गहरा काला/नीला करें।
10. अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पीटीईटी नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
11. दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मेरिट का आधार उनकी अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक होंगे और यदि अर्हता परीक्षा के अंक भी समान होंगे तो जन्मतिथि को आधार माना जायेगा एवं उम्र में वरिष्ठ अभ्यर्थी को उच्च वरीयता में माना जायेगा।
12. प्रवेश-पत्र पी.टी.ई.टी.-2025 की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
13. पीटीईटी के उत्तर पत्रक की रिस्केनिंग करवाने हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम घोषणा तारीख के 10 दिन की अवधि में रु. 200/- (रूपये दो सौ मात्र) शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना है।
14. मूल उत्तर-पत्रक (ओरिजिनल ओ. एम. आर) किसी भी सूरत में परीक्षा उपरांत किसी भी अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे।

15. आवेदन-पत्र अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरकर ऑनलाइन सबमिट करें एवं परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान या बैंक चालान से भुगतान कर उसका प्रिन्ट लें एवं परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड प्रति व आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति अपने पास रखे जिसे काउसलिंग के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है। आवेदन-पत्र में एक भी गलत या अनुचित इन्द्राज जानबूझ कर टेस्ट में नाजायज लाभ लेने की नीयत से किया हुआ माना जाएगा तथा ऐसा कृत्य इस टेस्ट हेतु आपकी अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा।
16. यदि आप सामान्य श्रेणी से भिन्न यथा राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग, विधवा/परित्यक्ता, टाडा/माडा/सहरिया श्रेणी क्षेत्र के निवासी, सैनिक/सेवानिवृत् सैनिक या उनके आश्रित हैं तो उस श्रेणी से सम्बन्धित नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज की सत्यापित प्रति काउसलिंग के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी ध्यान दें कि अन्य राज्यों के निवासी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे।
17. इस टेस्ट व इसके द्वारा चयन के निमित्त राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा समय- समय पर जारी आदेश आदि लागू होंगे।
18. पीटीईटी आवेदन-पत्र की डाउनलोडेड प्रिन्ट प्रतियों एवं साथ में दिये जाने वाले दस्तावेजों को इस प्रकार रखें –
- i पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति
 - ii अंकतालिकाएं एवं अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण-पत्र निम्न क्रम में रखें :-
10वीं, 12वीं, स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर
 - iii जाति प्रमाण-पत्र
 - iv दिव्यांगता/ सैनिक या सैनिक आश्रित/विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र
 - v EWS प्रमाण-पत्र
 - vi मूल निवास प्रमाण-पत्र आदि
 - vii अपार/ABC ID
- नोट:** इस बिन्दु में क्रम से 2 से 5 में दिये गये सभी दस्तावेजों या प्रमाण-पत्रों, जो आपसे सम्बन्धित हो की सत्यापित छाया प्रतिलिपियां उपरोक्त क्रमानुसार व्यवस्थित कर अपने पास सुरक्षित, संभाल कर रखें जिन्हें काउसलिंग उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवश्यक रूप से जमा करवाना है। उक्त के अभाव में आपको आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
19. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ कोटा होगा। राजस्थान के बी.एड महाविद्यालयों में सत्र 2025-26 हेतु प्रवेश देने की जिम्मेदारी सिर्फ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की है अतः प्रवेश से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्यों के विरुद्ध न्यायालयों में दायर वाद वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।
20. पी.टी.ई.टी-2025 की परीक्षा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की याचिका संख्या 6237/2014 और 10054/2015 द्वारा पारित निर्णय की पालना की जायेगी।

21. पी.टी.ई.टी-2025 में सम्मिलित एवं पंजीयन करके काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा भर दिए गए विकल्पों के आधार पर नियमानुसार महाविद्यालय आवंटित किया जाता है।
22. सम्पूर्ण प्रक्रिया उपरांत स्वीकृत सीट से कम प्रवेश के लिए आयोजक विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं रहेगा। किसी महाविद्यालय द्वारा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत रिक्त सीट पर प्रवेश के बाद प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं रहेगा। प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार है।

आदेश

राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(3) शिक्षा-4/2016-00224, दिनांक 20 फरवरी 2025 के अनुसार राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में बी.एड. एवं 4 वर्षीय बी.ए.बी.एड./बी.एससी. बी.एड पाठ्यक्रम के सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु प्रवेश पूर्व परीक्षा प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट, 2025 का आयोजन करने के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को अधिकृत किया है।

चेतावनी

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2025 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/- रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजायें हो सकती है।

परिणाम की घोषणा


- सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट पीटीईटी की वेबसाइट www.ptetvmoukota2025.com एवं समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी जाएगी। बी.एड में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन की स्थिति की जानकारी वेबसाइट पर उनके परिणाम के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। पीटीईटी की मार्कशीट वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। बी.एड में प्रवेश के लिए परिणाम/चयन के बारे में कोई जानकारी डाक द्वारा नहीं भेजी जायेगी। यथासंभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फॉर्म में दिए गये मोबाइल नंबर पर सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से दी जाएगी।
- परीक्षा से संबंधित सामग्री को परीक्षा के बाद छह माह तक सुरक्षित रखा जायेगा। इसके बाद सामग्री का निस्तारण किया जाएगा।
- परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण का साथ में लाना पूर्णतया वर्जित है।

मॉडल पेपर के प्रश्नों का नमूना

भाग-अ मानसिक योग्यता

- एक निश्चित कूट भाषा में, 'RICKSHAW' को 'TLENUKCZ' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में भाषा में 'BATTERY' को कैसे कूटबद्ध किया जायेगा?

(A) DDVWGUA	(B) CDWVUGA
(C) DCVVGUA	(D) CDWUVAG
- दिसम्बर 1984 की किन तारीखों को रविवार पड़ा था?



भाग-ब

शिक्षक अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति

6. सामाजिक परिपक्वता युक्त व्यक्ति की निर्णय क्षमता होती है-

(A) अनिश्चित (B) अनिर्णयात्मक
(C) तुरन्त (D) सुनिश्चित

7. अच्छा शिक्षण सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है-

(A) छात्रों की उपस्थिति से। (B) उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से।
(C) छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्नों से। (D) कक्षा में शान्तिपूर्ण वातावरण से।

8. बालक के उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है-

(A) समर्पित शिक्षक की (B) अच्छी पुस्तकों की
(C) उत्तम क्रीड़ा स्थल की (D) विशाल विद्यालय भवनों की

9. शिक्षक के सम्प्रेषण में होना चाहिये-

(A) उत्साह (B) अचेतना
(C) विचारों की स्पष्टता (D) उद्देश्य प्राप्ति की लालसा

10. नैतृत्व क्षमता का एक समुच्चय है –

(A) व्यक्तित्व (B) संज्ञानात्मक कौशल
(C) व्यवहारात्मक कौशल (D) संचार कौशल

भाग-स सामान्य जागरूकता

11. 'फिलॉसोफी ऑफ द बॉम्ब' के लेखक हैं-

(A) भगत सिंह (B) राम प्रसाद बिस्मिल

(C) अशफाक उल्लाह खान (D) भगवती चरण वोहरा

12. निम्न में से कौनसे प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं कहलाती हैं?

(A) मोनोसाइट्स (B) न्यूट्रोफिल्स

(C) थ्रॉम्बोसाइट्स (D) लिम्फोसाइट्स

13. 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' कब मनाया जाता है।

(A) 24 जनवरी (B) 8 मार्च

(C) 14 नवंबर (D) 19 नवंबर

14. 2023 का नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान किया गया-

(A) नरेस माहम्मदी को (B) पियरे एगोस्टिनी को

(C) जॉन फॉसे को (D) सुलुहु हसन को

15. निम्नलिखित नदियों में से कौनसी लम्बाई में सबसे छोटी है?

(A) नर्मदा (B) कृष्णा

(C) महानदी (D) गोदावरी

भाग-द

अभ्यर्थी को हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी एक भाग का चयन करना है-

हिंदी/English			
16. निम्नलिखित में से 'तासीर' शब्द का समानार्थक शब्द है-	(A) ताबीज	(B) तिजोरी	16. He refused to be <u>led by the nose</u> .
(C) प्रभाव	(D) तीक्ष्ण	(A) Quarrelsome	(B) Submissive
17. 'हिमकर' का पर्यायवाची नहीं है-	(A) हिमालय	(B) अंशुमाली	(C) Bully
(C) विधु	(D) विभाकर	(D) Irresponsible	17. I am not scared him.
18. 'कलाप्रवीण' शब्द में समास है-	(A) संप्रदान तत्पुरूष	(B) अप्रदान तत्पुरूष	(A) by
(C) सम्बन्ध तत्पुरूष	(D) अधिकरण तत्पुरूष	(C) with	(B) of
19. 'व्यूह' में संधि है-	(A) दीर्घ संधि	(B) यण संधि	18. Choose the prefix that can be attached to 'comprehensible' -
(C) गुण संधि	(D) विसर्ग संधि	(A) Non	(B) Un
20. विलोम शब्दों को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है-	(A) प्रसन्न-खिन्न	(B) स्थावर-जंगम	(C) Dis
(C) मधुर-सुमधुर	(D) उत्कर्ष-अपकर्ष	(D) In	19. Choose the antonym for 'Dark' -
		(A) Dim	(B) Gloomy
		(C) Bright	(D) Shadowy
		20. She is fond playing the piano.	
		(A) in	(B) of
		(C) at	(D) with

नोट

1. इस निर्देशिका में दी गयी समस्त सूचनाएँ केवल अभ्यर्थियों की सहायता हेतु है अंतिम रूप में केवल NCTE एवं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के सम्बंधित आदेश ही मान्य होंगे।
2. पीटीईटी 2025 के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा की गई संभावित गतिविधियाँ (परीक्षा, काउन्सलिंग और प्रवेश की तारीखें वेबसाइट पर दी जाएंगी)

क्र.संख्या	विभिन्न चरण (संभवत)
1.	पीटीईटी 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित करना
2.	पीटीईटी 2025 के लिए आवेदन की प्राप्ति
3.	प्रवेश परीक्षा पीटीईटी 2025
4.	परिणामों की घोषणा
5.	काउन्सलिंग के लिए पंजीकरण
6.	महाविद्यालयों का महाविद्यालय वार एवं जिलेवार चयन
7.	महाविद्यालय का आवंटन (पहली सूची की घोषणा)
8.	मेरिट सूची में ऊपर की ओर गमन
9.	दूसरी सूची की घोषणा
10.	तीसरी सूची की घोषणा
11.	प्रवेश प्रक्रिया बंद करना



P.T.E.T. – 2025
VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA



Pre Teacher-Education Test 2025 for 2 Year B.Ed and 4-year B.A.B.Ed./B.Sc. B.Ed.

GENERAL GUIDELINES & RULES FOR ADMISSION

Prof. Kailash Sodani

**Chief Coordinator and Vice Chancellor
Vardhman Mahavir Open University, Kota**

Co-Coordinator

Dr. S.K. Kulshrestha

Coordinator

Dr. Alok Chauhan

OFFICE ADDRESS

COORDINATOR, P.T.E.T.-2025

**ARYABHATTA BHAVAN, VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY,
RAWATBHATA ROAD, KOTA (RAJ.) 324010**

TEL. 0744-7965448, 0744-7965448, MOB. 6367026526

WEBSITE: ptetvmoukota2025.com EMAIL ID: ptet2025@vmou.ac.in

GENERAL GUIDELINES & RULES PRE-TEACHER EDUCATION TEST-2025

For admission to B.Ed. Course, session 2025-26 in various colleges in the State of Rajasthan, a competitive test for selection of candidates i.e. Pre-Teacher Education Test (P.T.E.T.-2025) will be conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota according to the rules approved by the Government of Rajasthan.

RULES FOR ADMISSION TO B.ED. COURSE

1. There will be a Pre-Teacher Education Test (hereinafter called P.T.E.T.-2025) for admission to B.Ed. for Colleges of Rajasthan. On-Line Application for the same is being invited by Vardhman Mahaveer Open University, Kota. The fee for online application shall be Rupees 500/-. Candidate will be able to submit application to 07th April, 2025.
2. Applicants who have successfully completed their graduation/post-graduation from any recognized university established by law with a minimum of 50 percent marks, deemed equivalent to the graduation/post-graduation examinations of universities in Rajasthan State, are eligible. For candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Extremely Backward Classes, Disabled, Widows, Deserted Females (all reserved categories and natives of Rajasthan State), a minimum of 45 percent marks in the graduation or post-graduation examination is desirable. There are no relaxations whatsoever in the minimum percentage requirement, not even by a single mark.
3. Candidates, who have passed Graduation from any University by appearing in only one Examination (One/Single Sitting), even if they have cleared PG degree based on this degree, are not eligible to appear in P.T.E.T.-2025. Likewise, candidates who have not studied through 10+2+3 scheme or 10+1+3 (old scheme) are also not eligible to appear in PTET. However, BAP/BCP/BSCP examination passed candidates from Vardhman Mahaveer Open University, Kota who have completed their three-year graduation later, will also be eligible for the PTET entrance test and admission as per merit.
4. As per National Education Policy 2020, those with a four-year bachelor's degree are also eligible for this examination.
5. Those who are appearing in the qualifying examination i.e. B.A./B.Com./B.Sc./Shiksha Shastri Final year and/or M.A./M.Com./M. Sc/Acharya Final year may also apply and appear in the P.T.E.T.-2025, subject to the condition that they should have their result up to the last date of Online Counseling Registration and have Marks Sheet of the qualifying examination with eligibility percentage.

6. Based on the performance in the P.T.E.T.-2025, a merit list showing the marks obtained by each candidate will be prepared.
7. Registration amount for online Counseling will be Rs. 5000/- . This amount will be adjusted in overall fee. After online counselling if the candidate does not report at the allotted college, then (1) Rs 200/- will be deducted and (2) if a candidate deposits 22000/- the fee but does not join the college then Rs 600/- will be deducted.
8. Out of the total number of seats available in each Faculty (Arts, Science, and Commerce), reservation only for Rajasthan domicile will be made as given here under as per rules of Govt. of Rajasthan:

RULES OF RESERVATION

1. Once the Income & Asset Certificate for Economically Weaker Sections is issued, if the applicants are eligible as per the prescribed criteria of the Economically Weaker Section in the coming year also, then in such a situation, the Income & Asset Certificate issued earlier on the basis of the affidavit attested by the applicant will be considered. This can be done for a maximum period of three years (for the next two years with the first year original certificate and affidavit).
2. O.B.C./M.B.C. The relevant certificate is issued only once by the authorized officer, but the certificate not being in the creamy layer will be valid for one year. Once the certificate of not being in the creamy layer is issued, if the applicant is not in the creamy layer even in the coming years, then in such a situation, the certificate issued earlier will be considered by taking a self-attested affidavit. This can be done for a maximum period of three years (for the next two years with first year original certificate and affidavit).
3. The seats available for admission in each faculty will be reserved for Divyang candidates 5% as per the horizontal reservation rules. The Persons with Disabilities (PWD) will have to submit a Disability Certificate/UD ID (Unique Disability Identity Card) by the Specialized Medical Authority as per the State Government Rules regarding disability. (Gazette of India 19 April 2017 & Rajasthan Gazette Special Issue, July 26, 2011) The certificate with at least 40% disability issued in the prescribed format provided by the Medical Board constituted by the PMO District Hospital/Medical College will be valid.

RESERVATION TABLE

S. No.	Category	Reservation
I.	For candidates belonging to Scheduled Castes	16%
II.	For candidates belonging to Scheduled Tribes	12%
III.	For candidate belonging to Other Backward Classes	21%
IV.	For candidates belonging to MBC.	5 %
V.	Economically Weaker Section (EWS)	10%
VI.	For women (out of which 8% seats are reserved for widows and 2% for divorced women)	As per State Government
VII.	For physically challenged (blind, deaf and/ or dumb and orthopaedic)	5%
VIII.	For in-service or an Ex-serviceman defence personnel or for his/her ward (only Air Force, Army and Navy)	5%

Note:

- a. Candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Most Backward classes of Rajasthan shall be required to produce a certificate to that effect from a competent authority.
- b. The Term ‘Wards’ in means only the son, daughter, wife or husband of the Defence personnel. Real sister and real brother may also be treated as wards of Defence personnel, provided they are dependent on the guardian Defence personnel and the candidate’s parents are not alive.
- c. Divorced woman shall be required to produce a certificate in the form of the decision of the Court to the effect that she has been divorced and an affidavit to the effect that she has not married again, duly attested by Notary.
- d. For Defence personnel/wards, a certificate issued by the Major of the Unit/Secretary, Soldiers Board as per rules shall be produced, failing which, the benefit under this category will not be granted. B.S.F., C.R.P.F. and other paramilitary force personnel and their wards are not covered under this category.
- e. For deciding the claim of a person to be a bonafide resident of Rajasthan a Bonafide resident certificate issued by a competent authority will be essential. However, the candidates who have passed their 10th, 12th, and Graduation examinations from Rajasthan and their addresses belong to Rajasthan will be treated as bonafide residents of Rajasthan without producing any certificate.

- f. In the case of an out of state woman who got married to a bonafide resident of Rajasthan, the place of bonafide residence of her husband may be considered as her bonafide residence in Rajasthan, provided bonafide residence certificate of her husband and marriage certificate obtained from District Magistrate are submitted at the time of online application for P.T.E.T.-2025.
 - g. Wards of defence personnel and Central Govt. employees, who have/had been posted outside Rajasthan but such defence personnel/Central Government employees who originally belong to Rajasthan may be considered eligible for admission to B.Ed. course, provided a bonafide residence certificate from a competent authority is submitted at the time of online application for P.T.E.T.-2025.
 - h. As far as possible, the candidate will be allotted Examination Centre in the district as per the preference/choice filled in his/her online application. No request for change in the Centre will be entertained.
 - i. A candidate, who is in the PH category and cannot perform blackboard teaching is not eligible.
 - j. Any false statement of facts noticed at any stage will automatically result in the cancellation of candidature and admission to the course. If it has already been made, the entire responsibility will lie with the candidate concerned and the fee deposited will not be refunded.
9. Candidates of other States will be treated in General **Category** only. Out of the total number of faculty-wise seats, not exceeding 5% seats will be filled in by the candidates from the other States based on overall merit, irrespective of the State to which the candidate belongs, provided that **merit of a candidate from outside Rajasthan is not less than the merit of the last candidate belonging to Rajasthan in general category.** Remaining seats, if any, will be available to the candidates who are bonafide residents of Rajasthan.
10. The Result will be made available on the website www.ptetvmoukota2025.com. For information to the candidates, a notification regarding the declaration of the result will be published in the leading newspapers of Rajasthan. Marksheets of the candidates will not be sent by post. The same will be made available on the above website.
11. Allotment of college to the applicant will be made through ONLINE counseling. The schedule of counseling programme will be published in leading newspapers of Rajasthan and will also be made available on the PTET website www.ptetvmoukota2025.com along with instructions regarding their participation in ONLINE Counseling. Candidates are

bound to follow the same. Candidates are advised to stay in touch with the leading newspapers of Rajasthan and the website of the PTET on/after the declaration of their PTET result.

12. The candidates who do not perform ONLINE counseling or refuse to accept the allotted college through ONLINE Counseling, will lose their PTET merit position and their chance for admission to B.Ed. course will not be reconsidered.
13. **All admissions to Teacher Education Programme shall be made through P.T.E.T.-2025 only through Vardhman Mahaveer Open University, Kota. No options to fill seats at the level of Institution (College) shall be allowed.**
14. A candidate will be allotted a college through online conseling based on his/her merit, as per his/her faculty, category, teaching subjects, choice of college filled, etc. and not on the basis of belonging to his/her District/ place or on any other grounds except as per the provisions in the rules of state Govt.
15. Nowadays, upward movement of priority choice of colleges exists is available in the first round only. Candidates may apply to avail of this facility online only after reporting to the initial college allotted. The candidate has to report in the new college if he/she stood in the merit and his/her admission in the previous college will automatically be cancelled. If a candidate does not come in the merit of required change of college, his/her admission will remain in the previously reported college and there will be no refund of the fee.
16. When completing the entrance examination form, candidates must accurately and meticulously provide all details concerning their category, faculty, gender, etc. Once submitted, no alterations will be permitted. The candidate should provide a valid and personal mobile number for further communication. In the same manner the candidate should provide his/her own bank account. If the bank account is not available of the candidate, they may submit their father or mother account number. No change in the mobile number and bank details are allowed. Any wrong or incorrect information in the Application Form will be treated as cancelled.
17. For admission in the B.Ed. Course, candidate must have teaching subjects at bachelor/master's degree level:
 - i. **'Teaching Subject'** means a subject offered by the candidate at his/her bachelor's or master's Degree Examination as an optional subject or as a subsidiary subject, provided that the candidate studied it for at least two years and also has taken University Examination each year.

- ii. Subjects which were studied by him/her only for a part of the bachelor's degree Course shall not be considered as teaching subjects. Thus, the qualifying subjects like General English, General Hindi, General Education/History of Indian Civilization and Culture, Elementary Mathematics, etc. prescribed for the First Year T.D.C. or Second Year Course of the University or a subject dropped by a candidate at the Part-I stage of the Degree Course shall not be treated as a teaching subject. In the case of Honours Graduates, besides the honours subject, the subsidiary subjects would also be considered provided the candidate studied the same for last two academic sessions and also passed University Examination in these. The mark sheet of Final year examination should clearly indicate the marks of compilation of Part I, Part II, and Part III in the case of three years degree course.
- iii. Only such Candidates shall be allowed to offer Social Studies for the B.Ed. Examination who has taken their bachelor's degree with at least two subjects out of History, Political Science, Public Administration, Economics, Geography, Philosophy, Psychology, and Sociology.
- iv. A person having bachelor's degree in agriculture shall be allowed to opt for General Science and Biology for B.Ed. Examination. General Science and Home Science may also be allowed to be opted by a candidate passing the Degree of B.Sc. (Home Science).
- v. A candidate passing the B.Sc. Examination with Chemistry along with any one subject of Life Science, i.e. Biology, Botany or Zoology can also choose General Science as a Teaching Subject.
- vi. A candidate with Political Science or Public Administration at his/her bachelor's or the master's Degree Examination shall be eligible to opt for Civics as a teaching subject in the B.Ed. Examination.
- vii. As per NCTE Regulations, 2014 (Appendix-4), Page No. 114, Clause No. 3.2 (a), candidates holding a B.Tech. degree are also eligible to apply for admission to the B.Ed. program. This clause explicitly states that graduates in Engineering or Technology with a specialization in Science and Mathematics, who have secured at least 55% marks, can apply for the B.Ed. program. Such candidates must mandatorily submit a certification verifying their specialization in Science and Mathematics; otherwise, they will not be granted admission.

EXPLANATORY NOTES TO ELIGIBILITY RULES:

1. For the purpose of P.T.E.T.-2025 merit, Faculty-wise, the candidate's Faculty is the faculty in which he/she has passed the graduation examination which is the qualifying examination and enables him/her to opt subjects for practice teaching. The P.G. Examination of a different Faculty other than that of graduation shall neither be taken into consideration for determining the merit nor for opting for a school teaching subject.
2. Where a candidate has passed Post Graduate Examination in two subjects of the same Faculty, which is different from the faculty of graduation, he/she may be assigned the Faculty of P.G. Examination for determining the merit if chosen, provided both the subjects of P.G. Examination are School teaching subjects.
3. Economics cannot be opted by a Commerce Graduate.
4. Those who are not able to opt at least two practice teaching subjects for B.Ed. Course in accordance with subjects shown against B.Ed. Colleges must not appear in the P.T.E.T.-2025, as admission will not be granted with a subject which is not in the syllabus of B.Ed., in any of the University.
5. Candidates who have passed B.B.A./B.C.A./B.S.W./B.E./B.Tech./B.Sc.(Biotech/Microbiology/Environment Science) or any such degree which does not have any school teaching subject are not eligible for admission in B.Ed. Course.
6. Anyone who does not fulfil any of the eligibility conditions as on the last date prescribed for submission of the online application for P.T.E.T.-2025 may apply and appear in the PTET. However, his/her candidature will be cancelled, and admission will not be granted if he/she does not fulfil the eligibility conditions up to the last date of registration for online counselling.
7. The candidate not eligible in terms of rules shall not get any right to admission on grounds of depositing the registration fee or admission fee with the scheduled bank.
8. Others: -
 - a) As per existing rules for admission to B.Ed. Course in a Teacher Education College in Rajasthan, a candidate, passing a Degree Examination of three years duration (after intermediate) by a university where Part I Examination is not conducted by the University and the marks obtained thereafter are not included in the mark sheet of Part II for the award of division, is not eligible to appear in P.T.E.T.-2025 for admission to B.Ed. Course.
 - b) In the case of Honours Graduate, if he/she has not studied the same subsidiary subject for at least two years, appearing in the University Examination for both the years separately, he/she is not eligible to offer the subsidiary subject as a teaching subject and so to appear in the P.T.E.T.-2025.
 - c) However, BAP/BCP/BSCP examination passed candidates from Vardhman Mahaveer Open University, Kota who has completed their three-year graduation later on, will also be eligible for the PTET entrance test and admission as per merit.

RULES FOR ADMISSION TO 4 YEAR B.A. B.Ed. / B.Sc. B.Ed. COURSE

1. There will be a Pre Teacher-Education Test hereinafter called PTET- 2025 for admission to four-year B.A. B.Ed. / B.Sc. B.Ed. course in colleges of Rajasthan. **Online application** for the same is being invited by Vardhman Mahaveer Open University, Kota. The fee for online application shall be Rupees 500/. Candidate will be able to submit application from 5th March2025 to 07th April 2025.
2. Candidates with 12th science stream can apply for 4-year B.A. B.Ed. and B.Sc.B.Ed. If you apply for both, then their fee will be Rs. 1000.
3. Candidate securing at least 50% marks in aggregate in the Senior Secondary Examination of the Secondary Board of Education, Rajasthan Ajmer, or any other Board recognized as equivalent (Equivalence certificate should be provided by the candidate) and fulfilling the other requirement for admission to 4 years B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. course, prescribed hereinafter will be eligible to apply for admission to 4 years B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. course through B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. Entrance Test 2025. However, scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes, most backward classes as well as physically challenged and widow or divorced women candidates of Rajasthan having at least 45% marks in aggregate in the Senior Secondary Examination and fulfilling the other requirement for admission to 4 years B.A. B.Ed./ B.Sc. B.Ed. course, prescribed hereinafter will be eligible to apply for admission to 4 years B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. course through B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. Entrance Test 2025. No relaxation in the minimum percentage (not even of one mark) as required above will be given to any candidate.
4. If a candidate has passed Class 10th and subsequently completed a minimum two-year course recognized by the National Council for Vocational Training (NCVT), along with English subject for Class 12th from the Board of Secondary Education, Rajasthan, or Rajasthan State Open School, Jaipur, they will be considered equivalent to a Class 12th.
5. It is also stated that only Senior Secondary Examination passed or appearing in science faculty candidate is eligible for admission in 4 years B.Sc. B.Ed. course.
6. In the Senior Secondary Examination, candidates with Arts, Commerce and Science faculties will be eligible for admission 4 years B.A.B.Ed. course.
7. Those who are appearing in the qualifying examination i.e. Senior Secondary School Examination will also be eligible, subject to the condition that they shall have their result up to the last date of online Counseling registration and have Marks Sheet of the qualifying examination with eligibility percentage.

8. On the basis of performance in the B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. Entrance Test, 2025 merit list showing the marks obtained by each candidate will be prepared.
9. Other conditions and reservation policy for Rajasthan domicile rules will be the same as mentioned for admission to B.Ed. Course.

OTHER ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR ALL CANDIDATES

- (i) In the first instance the candidate has to determine his/her own eligibility to appear in P.T.E.T.-2025 as there may be no checking of eligibility of candidates by the College at the stage of appearance in the test. The appearance at the test will be at candidates' own risk
- (ii) Candidate will not have any right to be admitted to B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. course in case he/she is subsequently found to be ineligible for admission to B.A. B. Ed./B.Sc. B.Ed. course.
- (iii) The candidate should read the rules as well as general instructions very carefully and comply with the same, failing which his/her admission to B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. course may be cancelled. Non-eligible candidates should not appear in the PTET.
- (iv) Merely a mention of the category in the ONLINE Application without actually belonging to the same or sending attested copy of certificate without mentioning a category in the Application or filling wrong or incorrect information in the Application will be treated as 'misconduct' and will result in the cancellation of the application.
- (v) The online application fee of for PTET and Pre-B.A.B.Ed./B.Sc. B.Ed. is non-refundable. Therefore, only such candidates should apply who are eligible as per rules and instructions.

GUIDELINES REGARDING PRE TEACHER-EDUCATION TEST

1. In the very nature of competitive Examination, no syllabus has been prescribed. It is an exercise to pick up the best. However, the following pages contain a broad outline.
2. Candidates can choose either Hindi or English as the medium of examination will be available. Therefore, while filling the form, the candidates should make sure that it is convenient to take the examination through which medium because it will not be possible to amend it after filling the form.
3. The PTET Examination will consist of one question paper containing the four Sections. In each section there shall be 50 questions and thus a total of 200 Multiple Choice Questions and total duration of exam will be of 3 hours.

I. Section A: Mental Ability

Mental Ability Section shall consist of 50 objective type multiple choice questions to test the following abilities:(i) Reasoning (ii) Imagination (iii) Judgement & Decision Making (iv) Creative Thinking (v) Generalization (vi) Drawing inferences etc.

II. Section B: Teaching Attitude and Aptitude Test

Teaching Attitude and Aptitude Test Section shall consist of fifty objective type multiple choice questions mainly in the following areas: (i) Social Maturity, (ii) Leadership, (iii) Professional Commitment, (iv) Interpersonal Relations. (v) Communication, (vi) Awareness etc. This will be the test of attitude and awareness in which answers to the questions will be scored on a scale of 3, 2, 1, and 0.

III. Section C: General Awareness

General Awareness Section shall consist of 50 objective type multiple choice questions mainly in the following areas: (i) Current Affairs (National & International), (ii) Indian History & Culture, (iii) India and its Natural Resources. (iv) Great Indian Personalities (Past and Present), (v) Environmental Awareness, (vi) Knowledge about Rajasthan, etc.

IV. Section D: Language Proficiency

Language Proficiency (English or Hindi) Section shall consist of 50 Objective type multiple choice questions regarding proficiency in Hindi or English Language related to the following aspects: (i) Vocabulary, (ii) Functional Grammar, (iii) Sentence Structures, (iv) Comprehension, etc.

4. All questions in Question-Paper shall be objective-type multiple-choice questions with at least four alternative answers. (See sample question under heading ‘Model Question Paper’)
5. The Paper will be set either in English or Hindi except in the Language Proficiency Section.
6. Each question will carry 3 marks and the maximum marks in the paper shall be 600.
7. Full 3 marks will be awarded for each correct answer. In Attitude & Aptitude Section, however, the answers will be scaled on a scale of 3 to 0 marks. This means that answer to each question will carry a weightage of 3,2,1 and 0.
8. The question paper of each section will be in the form of a test booklet containing 50 questions bearing number 1,2, 3.....50. There would be at least four alternative suggested answers (A) (B) (C) (D) etc to each question. The candidate will be required to choose the correct answer and darken the correct circle by Blue/Black Ball Pen

only, corresponding to the question in the answer sheet to be provided to each candidate. Mark should be dark, and circle filled completely. Darken only one circle for each question as shown in the example.

EXAMPLE



Make the mark only in the spaces provided. Please do not make any stray marks on the answer sheet. Filling of more than one circle for any question or not erasing a mark fully for changing the answer will mean rejection of the answer. Rough work must not be done on the answer sheet. Use the space for rough work given in the test booklet. The answer sheet will be collected from the candidates at the end of the Examination. Assessment will be made only based on the answer sheets. After the examination, the Question Booklet shall not be deposited to the invigilator. The candidate can carry with him/her the carbon copy of OMR Sheet.

9. The question booklets shall be arranged in different combinations. It must be ensured by the candidate that the serial number of the Question booklet is correctly and accurately written at the prescribed place on the Answer Sheet and correct circles corresponding to the figures are darkened very carefully with Blue/Black ink Ball Pen.
10. The merit list of qualifying candidates will be prepared based on the marks obtained by the candidate as per P.T.E.T.-2025 Rules.
11. Where the same marks are secured by two or more candidates, merit will be assigned based on marks obtained at the qualifying Examination. Where marks of qualifying examination are the same, date of birth will be taken into consideration. The elder candidate will be given higher merit.
12. Admission Card will be made available on the P.T.E.T.-2025 website.
13. Rescanning of the answer-sheet for Pre-Teacher Education Test can be done by online submission of application within 10 days of declaration of result on website with the fee Rs. 200/-.
14. The answer sheets of the test shall not be subject to production before the candidate or anybody else on his/her behalf.
15. Please ensure meticulous completion of the application form before submitting it online. Following successful online payment of the examination fee or through an online payment, print out the form and retain a hard copy along with attested photocopies of essential certificates. These documents will be required during counselling and admission to the college. Any erroneous or inappropriate entries in the

application form will be construed as deliberate attempts to gain unfair advantage in the test. Such actions will result in the automatic disqualification of your candidature from the test.

16. The candidates from Rajasthan, belonging to other categories than general category, that is belonging to SC /ST /OBC /MBC /PH /Divorced Women/Widow/ In-service or an Ex-serviceman defence personnel or for his/her ward (only Air force, Army and Navy personnel) must submit attested copies of the appropriate document at the time of admission after allotment of seat through online counseling. Please note that candidates belonging to other states (than Rajasthan) will be treated as General Category only.
17. The Test and selections will be conducted as per the orders issued by Rajasthan Government and NCTE from time to time.
18. Along with the downloaded prints of the PTET application Form, the Supporting Documents should be kept at the time of admission as per the following details:
 - i. A legible copy of the filled application form.
 - ii. Mark Sheets and other Educational Certificates (10th, 12th, Graduation 1st, 2nd, final year and post-graduation (if any) in the above order.
 - iii. Caste/Category Certificate.
 - iv. Certificate for PH/ Defense Personnel or their Ward/ Widow/Divorced women.
 - v. EWS Certificate.
 - vi. Bona-fide Certificate etc.
 - vii. APAAR/ ABC ID

Note: - At the time of admission to the allotted college through online Counseling, the candidate must submit attested photocopies of these documents, failing which the candidate will be deprived of admission.

19. **The Jurisdiction of all Court Cases will be at Kota only.** Vardhman Mahaveer Open University, Kota (Rajasthan), is solely responsible for granting B.Ed. admissions to all Teacher Training Colleges in Rajasthan for the 2025-26 academic session. As such, any legal action taken by the principals of these colleges regarding admissions will not be accepted against Vardhman Mahaveer Open University, Kota (Rajasthan). Any admission granted by a principal will not be considered valid.

20. The P.T.E.T.-2025 shall strictly follow Orders dated 02.09.2016 and 09.09.2016 by Honourable Rajasthan High Court (Jaipur Bench) in D.B. Civil Writ Petition No. 6237/2014 and 10054/2015.
21. Candidates who register for PTET-2025 and participate in the counselling process will be allotted colleges based on the options they have filled in accordance with the rules.
22. It's important to note that the organizing university isn't liable for admissions falling short of sanctioned seats. Additionally, once a college completes its process, no claims for admission to vacant seats will be entertained. The admission procedure falls under the jurisdiction of the University.

WARNING

Candidates are cautioned that use of unfair means in any public examination is an offense under law under the provisions of the Rajasthan Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act 1992. Accordingly, PTET-2025 Candidates found guilty of using or resorting to unfair means in the examination 2025 and those who help them in doing so may be punished with imprisonment up to 3 years or fine up to Rs 2000/- or There can be both punishments.

According to the order number 10(3) Education-4/2016-00224, dated 20 February 2025, of the Government of Rajasthan, Education (Group-4) Department, B.Ed and 4-year B.A.B.Ed./ B.Sc.B.Ed. in various colleges of Rajasthan. Vardhaman Mahaveer Open University, Kota has been authorized to conduct Pre Teacher Education Test, 2025, the pre-entrance examination for admission to B.Sc./B.Ed course for the session 2025-26.

DECLARATION OF RESULT

1. The result of all the candidates will be made available on the Website of PTET www.ptetvmoukota2025.com. Declaration of result shall also be informed through Newspapers. The information about their selection status for admission in B.Ed. Course will also be made available with their result on Website. Mark sheet can be downloaded from the Website of P.T.E.T.-2025. No information about the result/selection for admission in B.Ed. Course will be sent by posts. However, as far as possible, information will be given through S.M.S. on the mobile number given by the candidate in their online admission form.
2. The material related to the examination will be kept preserved for six months after the examination. Thereafter, the material will be disposed of.
3. Carrying Mobile Phone and other electronic equipments into the premises of examination centre are strictly prohibited.

NOTE:

To facilitate the candidates, Hindi version of rules is also given. In case of any confusion, the English version will be treated as authentic and final.

SAMPLE QUESTIONS OF MODEL PAPER

Section-A

Mental Ability

1. In a certain code language, ‘RICKSHAW’ is coded as ‘TLENUKCZ’. How is ‘BATTERY’ coded in that code language?


(A) DDVWGUA	(B) CDVVUGA
(C) DCVVGUA	(D) CDWUVAG
2. On what dates of December, 1984 did Sunday fall?

(A) 2, 9, 16, 23, 30	(B) 3, 10, 17, 24, 31
(C) 6, 13, 20, 27	(D) 1, 8, 15, 22, 29
3. How many numbers between 100 and 300 start and end with 2?

(A) 100	(B) 110
(C) 120	(D) 140
4. A man walked 28 meter towards North. Now he turned right and walked 11 meter. He once again turned right and walked 12 meter. After this he turned left and walked 23 meter. In which direction is the man standing now?

(A) East	(B) West
(C) North	(D) South

5. How many total triangles are there in the following figure?



Section-B

Teacher Aptitude and Attitude

6. The decision-making ability of a person with social maturity is -
(A) uncertain (B) inconclusive
(C) immediate (D) Certain

7. Good teaching is best reflected by -
(A) attendance of students.
(B) number of students with distinction.
(C) meaningful questions asked by students
(D) pin-drop silence in class

8. In the upgradation and development of the child, the most important role is of -
(A) Dedicated teacher (B) Goods books
(C) Best playground (D) Huge school buildings

9. Teacher's communication must have -
(A) Excitement (B) unconsciousness
(C) Clarity of thoughts (D) Desire to achieve purpose

10. Leadership activity is a set of -
(A) Personality (B) Cognitive skills
(C) Behavioural skills (D) Communication skills

Section-C

- (C) Jon Fosse (D) Suluhu Hassan
15. Which of the following river is the shortest in length?
 (A) Narmada (B) Krishna
 (C) Mahanadi (D) Godawari

The candidate has to choose any one part in Hindi or English-

भाग-द	हिंदी/English
16. निम्नलिखित में से 'तासीर' शब्द का समानार्थक शब्द है- (A) ताबीज (B) तिजोरी (C) प्रभाव (D) तीक्ष्ण	16. He refused to be <u>led by the nose.</u> (A) Quarrelsome (B) Submissive (C) Bully (D) Irresponsible
17. 'हिमकर' का पर्यायवाची नहीं है- (A) हिमालय (B) अंशुमाली (C) विधु (D) विभाकर	17. I am not scared him. (A) by (B) of (C) with (D) to
18. 'कलाप्रवीण' शब्द में समास है- (A) संप्रदान तत्पुरूष (B) अपादान तत्पुरूष (C) सम्बन्ध तत्पुरूष (D) अधिकरण तत्पुरूष	18. Choose the prefix that can be attached to 'comprehensible' - (A) Non (B) Un (C) Dis (D) In
19. 'व्यूह' में संधि है- (A) दीर्घ संधि (B) यण संधि (C) गुण संधि (D) विसर्ग संधि	19. Choose the antonym for 'Dark' - (A) Dim (B) Gloomy (C) Bright (D) Shadowy
20. विलोम शब्दों को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है- (A) प्रसन्न-खिन्न (B) स्थावर-जंगम (C) मधुर-सुमधुर (D) उत्कर्ष-अपकर्ष	20. She is fond playing the piano. (A) in (B) of (C) at (D) with

SCHEDULE OF TENTATIVE P.T.E.T. -2025

Related Activities of Vardhman Mahaveer Open University, Kota will be as follows: -

Sr. No.	Activity Steps (Tentative)
1.	Inviting applications for P.T.E.T.-2025
2.	Receipt of an application for P.T.E.T.-2025
3.	Examination P.T.E.T.-2025
4.	Declaration of Results
5.	Registration For Counseling
6.	Choice filling
7.	Allotment of College (Announcement of 1 st List)
8.	Upward Movement
9.	Announcement of 2 nd List
10.	Announcement of 3 rd List
11.	Closure of Admission Process



WWW.SARKARIRESULT.COM

No. 1 Education Portal

Since 2012

Latest Jobs

Latest Result

Admit Card

Admissions

Syllabus

Answer Key

Our Tools Website : SarkariResult.Tools